

का.आ. 349(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 228(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मुरलीधर जलान फाऊण्डेशन, 25, बेलीगंगे सर्कुलर रोड, कलकत्ता -700019 द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, जिसमें डिब्रूगढ़ में 25 प्राइमरी विद्यालयों, दस सामुदायिक केन्द्रों, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र वृद्धों के लिए एक सौ आश्रमों, एक सौ नलकूपों, पांच स्वास्थ्य केन्द्रों, चलती फिरती डिसपेन्सरियों, सड़क निर्माण, निर्धनों के लिए एक सौ निवास स्थान, कम लागत वाले एक सौ शौचालयों और खेल स्टेडियम के पहले चरण का निर्माण शामिल है, परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिससे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 482 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष के अवधि के लिए और बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 322(अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरलीधर जलान फाऊण्डेशन, 25, बेलीगंगे सर्कुलर रोड, कलकत्ता -700019 द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, जिसमें डिब्रूगढ़ में 25 प्राइमरी विद्यालयों, दस सामुदायिक केन्द्रों, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र वृद्धों के लिए एक सौ आश्रमों, एक सौ नलकूपों, पांच स्वास्थ्य केन्द्रों, चलती फिरती डिसपेन्सरियों, सड़क निर्माण, निर्धनों के लिए एक सौ निवास स्थान, कम लागत वाले एक सौ शौचालयों और खेल स्टेडियम के पहले चरण का निर्माण शामिल है, की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए मात्र चार करोड़ सत्रह लाख चौहतर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।